न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 541/2016

1. बलवन्त सिह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाखुर्द तहसील श्रीकरणपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

1. गुरविन्द्र सिह पुत्र ईकबाल सिह जाति जटसिख निवासी मलकाना खुर्द तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. भूरा सिह पुत्र प्रताप सिह जाति नाई निवासी चक मलकानाखुर्द तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

--अप्रार्थीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : २५/६/२०१९

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 2 एस की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 में खाता संख्या 21 में मु.न. 7,21,31,32 में सतनाम सिंह,सुरेन्द्र सिंह, के साथ भूमि में हिस्सेदार है। प्रार्थी की भूमि में चक 2 एस के मु.न. 32 में आवागमन के लिए रास्ता प्रशासन द्वारा चालू करवाया है, जो मौका पर चालू है। प्रार्थी की भूमि चक 2 एस के मु.न. 32 में पडती है। प्रार्थी को अपनी भूमि काश्त करने हेतु चक 2एस के मु.न. 27 के किला न. 21 ता 25 इसके उपरान्त मु.न. 31 के किला न. 1 ता 5 में व चक 4 एस के मु.न. 13 के किला न. 25 में रास्ता 35 वर्ष से लगातार चल रहा था, मु.न.27 के किला न. 16 ता 25 प्रतिवादी संख्या 1 गुरविन्द्र सिंह के नाम दर्ज कागजात है व चक 4एस के मु.न. 13 के किला न. 15,16 व 25 प्रतिवादी संख्या 2 भूरा सिंह के नाम है, लेकिन पार्टी बाजी की वजह से अप्रार्थीगण ने हल चलाकर चालू रास्ता को बन्द कर दिया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री मान उप जिलाधीश श्री करणपुर के आदेश की पालना में नायब तहसीलदार केसरीसिंहपुर एवं पटवारी हल्का द्वारा रास्ता को खोल कर पुनः चालू करवा दिया है। जो रास्ता मौका पर निरन्तर चल रहा है। जो अस्थायी व्यवस्था की गई है। न्यायालय आदेश दिनाक 06.09.2016 की पालना में दिनांक 10.09.2016 को उप तहसीदार केसरीसिंहपुर ने मौका पर जाकर चक 2 एस के मु.न.27 के किला न. 21 ता 25 व चक 4 एस के मु.न. 13 के किला न. 25 में जो रास्ता चालू था बन्द कर रखा था व मौके पर मु.न. 31 व 32 में जाने के लिए चालू करवाया गया जो अब मौका पर चालू है। अप्रार्थीगण द्वारा गांव में सरे आम धमकिया दी जा रही है। मौका लगने पर चालू रास्ता को पुनः जबरन एवं गैर कानूनी तरीके से बन्द करके रहेगें। प्रार्थी को रास्ता में से गुजरने नहीं देगें। वादी को 2 दिन पूर्व सरे आम गांव में एलानिया रास्ता बन्द करने का कहा। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि को आने जाने का रास्ता पुनः बन्द कर दिया तो वादी अपने रास्ता के उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेगा एवं सुखाधिकार का हनन होगा। प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा असीम क्षति होगी। राईट एवं टाईटल, सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें। कि वाके चक 2 एस के मु.न.27 के किला न. 21 ता 25 एवं चक 4 एस के मु.न. 13 के किला न. 25 में जो रास्ता प्रशासन द्वारा खुलवाया गया है। उसे अप्रार्थीगण को बन्द करने से रोका जावे व किसी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

प्रकार की प्रार्थी के मुरब्बा न. 32 में आने जाने हेतु बाधा उत्पन्न न करे व मौका की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की तलवी हेतु तलवाना पेश नहीं करने पर तलवी बन्द की गई।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन वं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 स की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 19/24 के मु0न0 27 के किला न0 21 ता 25 वं चक 4 एस के खाता संख्या 58/61 के मु.न. 13 के किला न. 25 में चल रहे रास्ता के संवंध मे त्रावली मे दिनांक 16.09.2016 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक २५/६/२०१९ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

{श्री मती रीना छिम्पा }
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner